2025 का विधेयक सं.4

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
- (2) इस अधिनियम की धारा 6, 30, 35 और 37, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें दिनांक 1 नवंबर, 2024 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।
- 2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 9 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति, "के प्रदाय" से पूर्व अभिव्यक्ति "और अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसारिक या परिशोधित स्प्रिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है." अन्त:स्थापित की जायेगी।
- 3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अन्तःस्थापित की जायेगी।
- 4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नई धारा-11क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"11क. साधारण चलन के परिणामस्वरूप उद्गृहीत नहीं किये गये या कम उद्गृहीत किये गये माल और सेवा कर की वसूली नहीं करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि-

- (क) माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई चलन साधारणतया प्रचलित था या है; और
 - (ख) ऐसे प्रदाय जो, निम्नलिखित के लिए दायी थे या हैं.-
 - (i) उन मामलों में, जहां उक्त चलन के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर, या
 - (ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त चलन के अनुसार उद्गृहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है,

तो राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे प्रदायों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर या, यथास्थिति, ऐसे प्रदायों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त चलन नहीं होता तो, उन प्रदायों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त चलन के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, या कम उद्गृहीत किया गया था या कम उद्गृहीत किया जा रहा है।"।

- 5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में,-
 - (i) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उस दशा में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा" और विद्यमान खण्ड (ख) के अंत में

आये विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
- "(ग) उस दशा में जहां, बीजक, प्राप्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख:";
- (iii) प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (क) या खण्ड (ख)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या खण्ड (ग)" अंत:स्थापित की जायेगी।
- 6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंतः स्थापित की जायेंगी और 1 जुलाई, 2017 से अंतः स्थापित की हुई समझी जायेंगी, अर्थातः-
 - "(5) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।
 - (6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनप्ट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के

रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप-धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामें नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जहां कि,-

- (i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवम्बर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या
- (ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से, या यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस कालावधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर, फाइल की जाती है,

इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।"।

- 7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खण्ड (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी कालाविध के संबंध में धारा 74" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

- (क) उप-धारा (2) के परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिहन "।" के स्थान पर, विराम चिहन ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ख) इस प्रकार संशोधित उक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जायें।"।

- 10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) में,-
 - (क) विद्यमान खण्ड (च) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कर संदत्त" से पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसी कालाविध के भीतर जो विहित की जाये" अंत:स्थापित की जायेगी;
 - (ख) विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"स्पष्टीकरण.- खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" के अंतर्गत ऐसा प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।"।

- 11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, मास के दौरान की गयी कटौतियों की एक विवरणी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में देगा:

परन्तु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गयी हों या नहीं, एक विवरणी देगा।"।

- 13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।
- 14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतः स्थापित की जायेगी।
- 15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट रीति" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-
 - (क) उप-धारा (3) में, विद्यमान दि्वतीय परन्तुक हटाया जायेगा;

- (ख) विद्यमान उप-धारा (14) के पश्चात् और विद्यमान **स्पष्टीकरण** से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-
 - "(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल के शून्य दर प्रदाय के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल के शून्य दर प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जहां ऐसे माल का शून्य दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन हैं।"।
- 17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 61 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 63 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 63 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 64 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अधिकथित प्रक्रिया" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान

अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।

- 22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 66 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 70 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 70 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थातः-
 - "(1क) उप-धारा (1) के अधीन समन किये गये समस्त व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।"।
- 24. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 73 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 73 में,-
- (i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अन्य कारण से" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "असंदत्त या कम" से पूर्व अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालाविध से संबंधित" अंतः स्थापित की जायेगीः
- (ii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-
 - "(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालाविध से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।"।

- 25. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 में,-
- (i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छिपाने के कारण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "असंदत्त या कम" से पूर्व अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालाविध से संबंधित" अंतः स्थापित की जायेगीः
- (ii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण 1.- से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्ः-
 - "(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालाविध से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।";
 - (iii) विद्यमान स्पष्टीकरण 2 हटाया जायेगा।
- 26. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में धारा 74क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 74 के पश्चात् और विद्यमान धारा 75 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्ः-

"74क. वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे संबंधित किसी कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न वह नोटिस में

विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, नोटिस की तामील करेगा:

परन्तु कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या बृटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, एक हजार रुपए से कम है।

- (2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा।
- (3) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी कालाविध के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर, उप-धारा (1) के अधीन आने वाली कालाविधयों से भिन्न ऐसी कर कालाविधयों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर अथवा गलत तरीके से लिये गये या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक कथन की तामील कर सकेगा।
- (4) ऐसे कथन की तामील, उप-धारा (1) के अधीन ऐसे ट्यिक्त पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली कालाविधयों से भिन्न ऐसी कर कालाविधयों के लिए अवलंब किये गये आधार पूर्ववर्ती नोटिस में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, नोटिस की तामील समझी जायेगी।

- (5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,-
 - (i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपये, जो भी उच्चतर हो, होगी;
 - (ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर के समतुल्य होगी।
- (6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।
- (7) समुचित अधिकारी उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट नोटिस जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परन्तु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत संयुक्त आयुक्त, राज्य कर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाले समुचित अधिकारी से पंक्ति में विरुष्ठ अधिकारी, उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व, उक्त कालावधि को अधिकतम छह मास की कालावधि तक और बढ़ा सकेगा।

(8) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदत्त किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

- (i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, ऐसे कर के स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन किसी नोटिस या, यथास्थिति, उप-धारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा:
- (ii) कारण बताओं नोटिस के जारी करने के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सिहत उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त नोटिस के संबंध में समस्त कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी।
- (9) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति.-
 - (i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, ऐसे कर के स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर

धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उप-धारा (1) के अधीन किसी नोटिस की तामील नहीं करेगा;

- (ii) नोटिस जारी करने के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी;
- (iii) आदेश की संसूचना के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी।
- (10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उप-धारा (8) के खण्ड (i) या उप-धारा (9) के खण्ड (i) के अधीन संदत रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने के लिए अग्रसर होगा।
- (11) उप-धारा (8) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी, जहां स्व निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की शोध्य

तारीख से तीस दिवस की कालाविध के भीतर संदत्त नहीं की गयी है।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (i) अभिव्यक्ति "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सिम्मिलित नहीं होंगी;
- (ii) जहां नोटिस उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को जारी किया जाता है और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो, धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छिपाना" से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा नहीं करना, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता की घोषणा करे, अभिप्रेत है।"।

- 27. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 75 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 75 में,-
- (क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (2) और (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (2) और (7)" अंतःस्थापित की जायेगी;

- (ख) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-
 - "(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन शास्ति, इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किये गये किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप, उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होते हैं, जिसको नोटिस जारी किया गया था, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन होगा।";
- (ग) विद्यमान उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-
 - "(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा, यदि आदेश धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) या धारा 74क की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर जारी नहीं किया जाता है।";
- (घ) उप-धारा (11) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में निर्दिष्ट" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (7)" अंतःस्थापित की जायेगी;
- (ङ) उप-धारा (12) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी;
- (च) उप-धारा (13) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 28. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट"

से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)" अंतःस्थापित की जायेगी।

- 29. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 में,-
- (क) उप-धारा (6) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस करोड़ रुपए", के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-धारा (11) के दि्वतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 30. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 109 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 109 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "करने के लिए," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है, तो धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने या न्यायनिर्णयन के लिए," अंतःस्थापित की जायेगी।
- 31. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 112 में,-
- (क) 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी करते हुए, उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन मास के भीतर" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कर सकेगा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, जो भी पश्चात्वर्ती हो" अंतःस्थापित की जायेगी;
- (ख) 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी करते हुए, उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छह मास में" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल

करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्वर्ती हो" अंतःस्थापित की जायेगी;

- (ग) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील स्वीकार कर सकेगा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या उप-धारा (5)" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" अंतःस्थापित की जायेगी;
 - (घ) उप-धारा (8) के खण्ड (ख) में,-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास करोड़ रूपए" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "बीस करोड़ रूपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 32. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1ख) में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी करते हुए, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है-" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 33. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 127 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 127 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 129" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।
- 34. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 128क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 128 के पश्चात् और विद्यमान धारा 129 से पूर्व, निम्निलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्ः-
 - "128क. कतिपय कर कालाविधयों के लिए, धारा 73 के अधीन की गयी मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.-
 - (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते ह्ए

भी, जहां कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा, निम्नलिखित के अनुसार कर की कोई रकम संदेय है,-

- (क) धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस या धारा 73 की उप-धारा (3) के अधीन जारी कथन, और जहां धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या
- (ख) धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या
- (ग) धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की कालावधि, या उसके किसी भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व, यथास्थिति, खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, तो धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त नोटिस या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, समाप्त हुई समझी जायेंगी:

परन्तु जहां धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है और धारा 75 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी, द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है तो, यथास्थित, उक्त नोटिस या आदेश को, इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस या आदेश माना जायेगा:

परन्तु यह और कि उन मामलों में, जहां धारा 107 की उप-धारा (3) या धारा 112 की उप-धारा (3) के अधीन आवेदन किया जाता है या धारा 117 की उप-धारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परन्तुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती है, वहां इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है:

परन्तु यह भी कि जहां ऐसी ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गयी है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।
- (3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गयी कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गयी है।
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गयी है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 112 की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।"।

- **35. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 171 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में,-
 - (क) अंत में विद्यमान विराम चिहन "।" के स्थान पर, विराम चिहन ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थातः-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है।

स्पष्टीकरण 1.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा के लिए अनुरोध" से, इस बारे में कि क्या किसी रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिये गये इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "प्राधिकारी" के अंतर्गत "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा।"।

- 36. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित नये पैरा अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थातः-
 - "9. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किये गये व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर

का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किये गये व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गयी बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

- 10. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पुन:बीमाकर्ता बीमा किये गये व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यपित कमीशन या पुन:बीमा कमीशन सिहत संदत्त पुन:बीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुन:बीमाकर्ता को सेवाएं, जिनके लिए अध्यपित कमीशन या पुन:बीमा कमीशन, पुन:बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुन:बीमा प्रीमियम से, कटौती किया जाता है।"।
- 37. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.- उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया गया होता, यदि धारा 6 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।
- 38. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

माल और सेवा कर परिषद् (जीएसटी परिषद्) ने अपनी 53वीं बैठक में अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसारिक, इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्धता, अपील फाइल करने के लिए पूर्व-निक्षेप की अधिकतम रकम में कमी, ब्याज और शास्ति आदि के अधित्यजन की कराधेयता संबंधी मुद्दों पर विभिन्न संगमों के अभ्यावेदन पर विचार किया था और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी। परिणामतः केन्द्र सरकार ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन किये थे, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात, राजपत्र में दिनांक 16 अगस्त, 2024 को प्रकाशित हुए।

उपरोक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में एकरूपता लाने के क्रम में राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में सुसंगत संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया था। इसलिए, राजस्थान के राज्यपाल ने 10 दिसम्बर, 2024 को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 प्रख्यापित किया था। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है:-

(i) मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसारिक या परिशोधित स्प्रिट, पर जीएसटी के अधीन कर उद्गृहीत नहीं किया जाना।

- (ii) राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण के नियमितीकरण के लिए, जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण साधारण चलन के परिणामस्वरूप था, सरकार को सशक्त बनाने के लिए नयी धारा 11क अंत:स्थापित करना।
- (iii) उन मामलों में, जहां प्रतिलोम प्रभार प्रदायों में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, सेवाओं के प्रदाय का समय विनिर्दिष्ट करने के लिए, धारा 13 की उप-धारा (3) को संशोधित करना।
- (iv) धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (4) के लिए अपवाद को अपवर्जित करने के लिए इसमें एक नयी उप-धारा (5) अंत:स्थापित करना और यह उपबंध करना कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।
- (v) धारा 16 में एक नयी उप-धारा (6) अंतःस्थापित करना, जिससे कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से या, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए फाइल की गयी विवरणी में किसी बीजक या नामें नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर फाइल किया गया, इस शर्त के अध्यधीन कि उक्त बीजक या नामें नोट के संबंध में प्रत्यय प्राप्त करने की समय सीमा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन पहले से ही अवसान नहीं हो गयी हो।

- (vi) धारा 17 की उप-धारा (5) का संशोधन करना, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 74 के अधीन संदत्त कर के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की अनुपलब्धता को, केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की मांगों के लिए, निबंधित किया जा सके।
- (vii) धारा 21 में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क के प्रति निर्देश सम्मिलित किया जा सके।
- (viii) धारा 30 की उप-धारा (2) में एक नया परंतुक अंत:स्थापित करना, जिससे राज्य सरकार को नियमों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए शर्तें और निर्बंधन विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
- (ix) धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) का संशोधन करना, जिससे राज्य सरकार को, नियमों द्वारा प्रतिलोम प्रभार तंत्र प्रदायों की दशा में प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की समयाविध विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह उक्त धारा की उप-धारा (3) में एक स्पष्टीकरण भी अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती के एकमात्र प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं माना जायेगा।
- (x) धारा 35 की उप-धारा (6) में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क के प्रति निर्देश सम्मिलित किया जा सके।
- (xi) धारा 39 की उप-धारा (3) का प्रतिस्थापन करना, जिससे स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप से देना आज्ञापक किया जा सके, चाहे उक्त मास में कोई कटौती की गयी हो या नहीं।

- (xii) धारा 49 की उप-धारा (8), धारा 50 की उप-धारा (1) और धारा 51 की उप-धारा (7) में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क के प्रति निर्देश सम्मिलित किया जा सके।
- (xiii) धारा 54 में एक नयी उप-धारा (15) का अंत:स्थापन करना, जिससे कि उप-धारा (3) का दिवतीय परंतुक विलोपित किया जा सके और यह उपबंध करना कि माल के शून्य दर प्रदाय की दशा में, अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जहां ऐसे माल निर्यात शुल्क के अध्यधीन हों।
- (xiv) धारा 61 की उप-धारा (3), धारा 62 की उप-धारा (1), धारा 63, धारा 64 की उप-धारा (2), धारा 65 की उप-धारा (7) और धारा 66 की उप-धारा (6) में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क के प्रति निर्देश सम्मिलित किये जा सकें।
- (xv) धारा 70 में एक नयी उप-धारा (1क) का अंतःस्थापन करना, जिससे कि किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को उक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये समनों के अनुपालन में समन किये गये व्यक्ति की ओर से उचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
- (xvi) धारा 73 में एक नयी उप-धारा (12) और धारा 74 में एक नयी उप-धारा (12) अंत:स्थापित करने के लिए, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अविध से संबंधित कर अवधारण के संबंध में उक्त धाराओं के लागू होने को निर्विधित किया जा सके।
- (xvii) एक नयी धारा 74क अंत:स्थापित करने के लिए, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 से किसी कारणवश असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त या गलती से लिये गये या अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण के लिए उपबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष

2024-25 से कपट, जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को दबाने को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए, उच्चतर शास्ति रखते हुए, आगे इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या कपट, तथ्यों को छिपाने या जानबूझकर मिथ्या कथन करने के आरोप लगाये जाते हैं या नहीं, मांगों के संबंध में मांग सूचनाएं और आदेश जारी करने के लिए समान कालावधि का भी उपबंध करता है।

- (xviii) धारा 75 में एक नयी उप-धारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए हैं, जिससे उन मामलों में, जहां कपट, तथ्यों को छिपाने या जानबूझकर मिथ्या कथन करने के आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, वहां उक्त धारा की उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अनुसार, शास्ति का पुन:अवधारण करने के लिए उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन शास्तिक उपबंध करने वाली सूचना में मांग की गयी शास्ति के पुन:अवधारण का उपबंध किया जा सके। यह उक्त अधिनियम की धारा 75 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए भी ईप्सित हैं, जिससे प्रस्तावित धारा 74क या उसकी सुसंगत उप-धाराओं के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके।
- (xix) धारा 104 की उप-धारा (1) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7) के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके।
- (xx) धारा 107 की उप-धारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-निक्षेप की अधिकतम रकम को राज्य कर में पच्चीस करोड़ रुपए से घटाकर बीस करोड़ रुपए किया जा सके। यह उक्त धारा की उप-धारा (11) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे प्रस्तावित

- नयी धारा 74क के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके।
- (xxi) धारा 109 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामलों का परीक्षण करने या निर्दिष्ट मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अपील अधिकरण को सशक्त किया जा सके यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया गया है।
- (xxii) धारा 112 की उप-धारा (1) और (3) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए तारीख अधिसूचित करने के लिए और अपीलें या आवेदन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित समय-सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह उक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-निक्षेप की विवादित कर की अधिकतम रकम को विद्यमान बीस प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा सके ताकि पूर्व-निक्षेप के रूप में संदेय अधिकतम रकम को भी राज्य कर में पचास करोड़ रुपये से घटाकर बीस करोड़ रुपये किया जा सके।
- (xxiii) धारा 122 की उप-धारा (1ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उप-धारा के लागू होने को इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों तक निर्बंधित किया जा सके, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण करना अपेक्षित है।
- (xxiv) धारा 127 में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नयी धारा 74क के प्रति निर्देश सम्मिलित किया जा सके।
- (xxv) एक नयी धारा 128क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन जारी

त्रुटिवश प्रतिदाय के संबंध में, मांग सूचनाओं के सिवाय, मांग सूचनाओं के संबंध में ब्याज और शास्ति के सशर्त अधित्यजन के लिए उपबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि उन मामलों में, जहां उक्त वित्तीय वर्षों के लिए किसी मांग के संबंध में ब्याज और शास्ति का पहले ही संदाय किया जा चुका है, उनके लिए कोई भी प्रतिदाय अन्ज्ञेय नहीं होगा।

- (xxvi) धारा 171 की उप-धारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को वह तारीख अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी मुनाफाखोरी निवारक मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, एक स्पष्टीकरण, जिससे उक्त धारा के अधीन अभिव्यक्ति "प्राधिकारी" में "अपील प्राधिकारी" के निर्देश को सिम्मिलित किया जा सके और मुनाफाखोरी निवारक मामलों में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अपील अधिकरण को अधिसूचित करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने के लिए, अंत:स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है।
- (xxvii) अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सह बीमा करारों में बीमा किये गये व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गयी बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता, द्वारा सह बीमाकर्ता को सह बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप न तो माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति मानी जायेगी, परंतु यह कि मुख्य बीमाकर्ता बीमा किये गये व्यक्ति द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम की रकम पर कर दायित्व का संदाय करे। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता द्वारा पुन:बीमाकर्ता को ऐसी सेवाएं, जिनके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुन:बीमा कमीशन,

पुन:बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुन:बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है, न तो माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति मानी जायेगी, परंतु यह कि पुन:बीमा कमीशन या अध्यर्पित कमीशन सहित सकल पुन:बीमा प्रीमियम पर कर दायित्व पुन:बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किया जाता है, का उपबंध किया जाना भी प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 10 दिसम्बर, 2024 को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजनलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(8) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 10 फरवरी, 2025 प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वितित नहीं है।

> भजनलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उप-धारा (2) में एक नया परंतुक अंतस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो राज्य सरकार को कर दाता के द्वारा रिजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए शर्तें विहित करने के लिए नियम बनाने हेत् सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जो राज्य सरकार को, प्रतिलोम प्रभार तंत्र प्रदायों की दशा में प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की कालाविध विहित करने के लिए नियम बनाने हेत् सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो राज्य सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी फाइल की जानी है, विहित करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 34 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नयी धारा 128क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा की उप-धारा (1) राज्य सरकार को ऐसी शर्तें विहित करते हुए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है, जिनके अध्यधीन उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन जारी मांग नोटिसों से संबंधित कार्यवाहियां, उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा 128क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार की गयी समझी जायेंगी।

ऐसे मामले जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

> भजनलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

9. उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर सभी प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनिधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, राजस्थान माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा।

- (2) 社 (5) xx xx xx xx xx xx
- 10. प्रशमन उद्ग्रहण.- (1) से (4) xx xx xx
- (5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदत्त करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, किये गये प्रदायों का मूल्य सिम्मिलित होगा किन्तु इसमें, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य में के आवर्त" में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात:-

- (i) किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, के प्रदाय का मूल्य; और
- (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य।

XX XX XX XX XX XX XX XX 13. सेवाओं के प्रदाय का समय.- (1) से (2) xx xx

- (3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-
 - (क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या
 - (ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख:

परन्तु जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी:

परन्तु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) 社 (6) xx xx xx xx xx XX XX XX XX

- **17. प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.-** (1) 社 (4) xx xx xx xx xx xx xx
- (5) धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:-
 - (क) से (ज) xx xx xx xx (झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।
- 21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.- जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किये जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

XX XX XX XX XX

- 30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.- (1) xx xx
- (2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामंजूर नहीं किया जायेगा।

(3) xx xx xx xx xx

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

31. कर बीजक.- (1) से (2) xx xx xx (3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए

भी,-(क) से (ङ) xx xx xx xx

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदायकर्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(6) धारा 17 की उप-धारा (5) के खण्ड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदाय किया गया था और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

XX XX XX XX XX XX XX 39. विवरणियां देना.- (1) से (2) xx xx xx

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिवसों के भीतर, की गयी है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

- $(4) \stackrel{\leftrightarrow}{\leftrightarrow} (11)$ xx xx
- 49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.- (1) से (7) xx xx xx xx xx xx xx xx
- (8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात्:-
 - (क) स्वतः निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालाविधयों से संबंधित विवरणियों के शोध्यः
 - (ख) स्वतः निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालाविध से संबंधित विवरणियों के शोध्य;
 - (ग) धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग को सिम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम।
 - (9) 社 (12) xx xx xx xx
- 50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित कालाविध के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस कालाविध के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा:

परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती

है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकासी दवारा किया जाता है, संदाय होगा।

- (2) 社 (3) xx xx xx xx
- 51. स्रोत पर कर कटौती.- (1) से (6) XX XX
- (7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जायेगा।
- (3) उप-धारा (10) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर कालाविध के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जायेगा-

- (i) कर का संदाय किये बिना किया गया शून्य दर प्रदाय;
- (ii) जहां इनपुट पर कर की दर के, सिवाय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायों के जैसािक परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आउटपुट प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णत: छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के अधिक होने के मद्धे संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहां भारत से बाहर निर्यात किये गये माल निर्यात श्लक के अध्यधीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसे प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

- - 61. विवरणियों की संवीक्षा.- (1) से (2) xx xx
- (3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने के तीस दिवस की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की जाती है, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं, या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।
- 62. विवरणी फाइल न करने वालों का निर्धारण.- (1) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध सभी सुसंगत तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की कालाविध के भीतर निर्धारण का आदेश जारी कर सकेगा।
 - (2) xx xx xx xx xx
- 63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.- धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में

असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी ऐसे कराधेय व्यक्ति का सुसंगत कर कालावधि के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर दायित्व निर्धारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी कर सकेगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जायेगा।

- 64. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण.- (1) xx xx
- (2) उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से, यदि अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा 73 या धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अन्सरण करेगा।

अध्याय 13 लेखापरीक्षा

- 65. कर प्राधिकारियों दवारा लेखापरीक्षा.- (1) से (6) xx xx
- (7) जहां उप-धारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रृटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।
 - **66. विशेष लेखापरीक्षा.-** (1) से (5) xx xx xx
- (6) जहां उप-धारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रृटिवश प्रतिदाय किये जाने, या इनप्ट कर प्रत्यय को गलत

तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

XX XX XX XX XX

- 73. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.-
 - (1) से (11) xx xx xx xx
- 74. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रृटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) से (11) xx xx xx xx xx

स्पष्टीकरण 1.- (1) से (11) xx xx xx xx xx स्पष्टीकरण 2.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छिपाना" से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना, जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन दी गयी विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को प्रस्तुत करने में विफलता, अभिप्रेत होगा।

- 75. कर के अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.- (1) जहां किसी नोटिस की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की कालाविध को, धारा 73 की उप-धारा (2) और (10) या, यथास्थिति, धारा 74 की उप-धारा (2) और (10) में विनिर्दिष्ट कालाविध की संगणना करने से अपवर्जित किया जायेगा।
 - (2) 社 (9) xx xx xx xx xx xx
- (10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा यदि आदेश धारा 73 की उप-धारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उप-धारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता है।

- (11) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय दिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत कालाविध को धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) में निर्दिष्ट कालाविध की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जायेगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक दिशत करने के लिए सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गयी हैं।
- (12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो धारा 79 के उपबंधों के अधीन उसकी वस्ती की जायेगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "स्वतः निर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किये गये जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सिम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सिम्मिलित नहीं किया गया है।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.-(1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उप-धारा (4) के अधीन या धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण.- धारा 73 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) में विनिर्दिष्ट कालावधि की गणना करते समय इस उप-धारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली कालाविध को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

- (6) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने-
 - (क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम को ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और
 - (ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हए, संदाय नहीं किया हो:

परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।

(7) 社 (10) xx xx xx xx

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा न्यायसंगत और समुचित आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था:

परन्तु अधिहरण या वृहतर मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकारी की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयुक्त किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और आदेश धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पारित किया गया है।

(12) 社 (16) xx XX

109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।

XX XX XX XX XX

- 112. अपील अधिकरण को अपील.- (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, अपील चाहने वाले व्यक्ति को संसूचित किया गया है, तीन मास के भीतर कर सकेगा।
 - (2) xx xx xx xx xx
- (3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख, जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।
 - (4) से (5) xx xx xx xx
- (6) अपील अधिकरण, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कालाविध की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील स्वीकार कर सकेगा या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट कालाविध की समाप्ति के पश्चात् पैंतालिस दिवस के भीतर प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसको उस कालाविध में प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था।
 - (7) xx xx xx xx xx
- (8) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक अपीलार्थी ने-
 - (क) कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और आक्षेपित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गयी हो, की रकम के ऐसे भाग को पूर्ण रूप से संदत्त न कर दिया हो; और

(ख) धारा 107 की उप-धारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उत्पन्न विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए संदत्त न कर दी गयी हो।

- (i) इसके माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रदाय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अनुज्ञात करता है;
- (ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसा अन्तरराज्यिक प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक प्रदाय अनुज्ञात करता है; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से किये गये माल के किसी जावक प्रदाय के सम्बन्ध में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन दिये जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो दस हजार रुपए, या यदि ऐसा प्रदाय धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति, जो भी अधिक हो, का संदाय करने का दायी होगा।

 127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.-जहां समुचित अधिकारी का यह विचार है कि कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन नहीं आता है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

XX XX XX XX XX XX 171. मुनाफाखोरी निवारण उपाय.- (1) xx xx

(2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यह परीक्षा करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के अनुरूप उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में वास्तव में कमी हुई है, किसी प्राधिकारी का गठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त कर सकेगी।

 (Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.
- (2) Sections 6, 30, 35 and 37 of this Act shall be deemed to have come into force on and from 27th day of September, 2024 and the remaining sections shall be deemed to have come into force on and from 1st day of November, 2024.
- 2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "alcoholic liquor for human consumption" and before the existing expression ", on the value", the expression "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.
- **3.** Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (5) of section 10 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression "shall, *mutatis mutandis*", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- **4.** Insertion of new section 11A, Rajasthan Act No. 9 of **2017.-** After the existing section 11 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

- "11A. Power not to recover Goods and Services
 Tax not levied or short-levied as a result of general
 practice.- Notwithstanding anything contained in this Act,
 if the Government is satisfied that-
- (a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and
 - (b) such supplies were, or are, liable to,-
 - (i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or
 - (ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.".

5. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (3) of section 13 of the principal Act,-

- (i) in clause (b), for the existing expression "by the supplier:", the expression "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted:
- (ii) after clause (b) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:-
 - "(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";
- (iii) in the first proviso, after the existing expression "clause (a) or clause (b)" and before existing expression

"the time of supply", the expression "or clause (c)" shall be inserted.

- **6.** Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the following new sub-sections shall be inserted and deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "(5) Notwithstanding anything contained in subsection (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.
 - (6)Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,-
 - (i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
 - (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later.".

- 7. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (i) of sub-section (5) of section 17 of the principal Act, for the existing expression "sections 74, 129 and 130.", the expression "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24." shall be substituted.
- **8.** Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 21 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", as the case may be,", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 9. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 30 of the principal Act,-
 - (a) in proviso to sub-section (2), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;
 - (b) after the said proviso, so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

- 10. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (3) of section 31 of the principal Act,-
 - (a) in existing clause (f), after the existing expression "of section 9 shall" and before the existing expression "issue an invoice", the expression ", within the period as may be prescribed," shall be inserted;
 - (b) after existing clause (g), the following new Explanation shall be inserted, namely:-
 - "Explanation.-For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.".
- 11. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (6) of section 35 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the

existing expression ", as the case may be,", the expression "or section 74A" shall be inserted.

- 12. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (3) of section 39 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

- 13. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In clause (c) of sub-section (8) of section 49 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 14. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression "in respect of the said period", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 15. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (7) of section 51 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 16. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (3), the existing second proviso shall be deleted;
- (b) after the existing sub-section (14) and before the existing **Explanation**, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

- "(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty."
- 17. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (3) of section 61 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 18. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 62 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", where a registered person", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 19. Amendment of section 63, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 63 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", where a taxable person", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- **20.** Amendment of section 64, Rajasthan Act No. 9 of **2017.-** In sub-section (2) of section 64 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 21. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (7) of section 65 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- 22. Amendment of section 66, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 66 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

- **23.** Amendment of section 70, Rajasthan Act No. 9 of **2017**.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 70 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required."
- 24. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 73 of the principal Act,-
- (i) in the heading, after the existing expression "Determination of tax" and before the existing expression "not paid or", the expression ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;
- (ii) after the existing sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:-
 - "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.".
- 25. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 74 of the principal Act,-
- (i) in the heading, after the existing expression "Determination of tax" and before the existing expression "not paid or", the expression ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;
- (ii) after the existing sub-section (11) and before the existing **Explanation 1**, the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.";
 - (iii) the existing **Explanation 2** shall be deleted.

- **26.** Insertion of new section 74A, Rajasthan Act No. 9 of **2017**.- After the existing section 74 and before the existing section 75 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-
 - "74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward.- (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

- (2) The proper officer shall issue the notice under subsection (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.
- (3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.
- (4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1),

subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

- (5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,-
 - (i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;
 - (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.
- (6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.
- (7) The proper officer shall issue the order under subsection (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-
 - (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:
 - (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded:

- (iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.
- (12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.-For the purposes of this section,-

- (i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.
- **Explanation 2.-** For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the

rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.".

27. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 75 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1), after the existing expression "sub-sections (2) and (10) of section 74" and before the existing expression ", as the case may be", the expression "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;
- (b) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";
- (c) for the existing sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";
- (d) in sub-section (11), after the existing expression "sub-section (10) of section 74" and before the existing expression "where proceedings", the expression "sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;
- (e) in sub-section (12), after the existing expression "section 74" and before the existing expression ", where any amount of self-assessed tax", the expression " or section 74A" shall be inserted;

- (f) in sub-section (13), after the existing expression "section 74" and before the existing expression ", no penalty for the same act", the expression " or section 74A" shall be inserted.
- **28.** Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In the Explanation to sub-section (1) of section 104 of the principal Act, after the existing expression "sub-sections (2) and (10) of section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.
- 29. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 107 of the principal Act,-
- (a) in clause (b) of sub-section (6), for the existing expression "twenty-five crore rupees", the expression "twenty crore rupees" shall be substituted;
- (b) in the second proviso of sub-section (11), after the existing expression "section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- **30.** Amendment of section 109, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 109 of the principal Act, after the existing expression "Revisional Authority" and before the existing expression "under this Act.", the expression ", or for conducting an examination or adjudicating the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section" shall be inserted.
- 31. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 112 of the principal Act,-
- (a) with effect from the 1st day of August, 2024, in subsection (1), after the existing expression "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" and before the existing punctuation mark ".", the expression "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later" shall be inserted;

- (b) with effect from the 1st day of August, 2024, in subsection (3), after the existing expression "from the date on which the said order has been passed" and before the existing expression "for determination of such points arising out of the said order", the expression "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;
- (c) in sub-section (6), after the existing expression "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)" and before the existing expression ", or permit the filing of a memorandum of cross-objections", the expression "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted;
 - (d) in clause (b) of sub-section (8),-
 - (i) for the existing expression "twenty per cent.", the expression "ten per cent." shall be substituted;
 - (ii) for the existing expression "fifty crore rupees", the expression "twenty crore rupees" shall be substituted.
- 32. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 122 of the principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the existing expression "Any electronic commerce operator who-", the expression "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52-" shall be substituted.
- **33.** Amendment of section 127, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 127 of the principal Act, after the existing expression "or section 74" and before the existing expression "or section 129", the expression "or section 74A" shall be inserted.
- **34.** Insertion of new section 128A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After existing section 128 and before existing section 129 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

- "128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,-
 - (a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or
 - (b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or
 - (c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1)of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as maybe prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is made under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of state tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.
- (3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".
- **35.** Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 171 of the principal Act,-

- (a) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;
- (b) after sub-section (2) so amended, the following new proviso and Explanations shall be inserted, namely:-

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 1.- For the purposes of this subsection, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 2.- For the purposes of this section, the term "Authority" shall include the "Appellate Tribunal.".

- **36.** Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of **2017.** In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and before **Explanation 1**, the following new paragraphs shall be inserted, namely:-
 - "9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the Integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.
 - 10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central tax,

the State tax, the Union territory tax and the Integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

- **37.** No refund of tax paid or input tax credit reversed. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 6 been in force at all material times.
- **38. Repeal and savings.** (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (Ordinance No. 1 of 2024) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State Government.

The Goods and Services Tax Council (GST Council) in its 53rd meeting considered representation from various associations on the issues regarding taxability of un-denatured extra neutral alcohol, availability of input tax credit, reduction in maximum amount of pre-deposit for filing appeal, waiver of interest and penalty etc. and recommended to make certain amendments in the Central Goods and Services tax Act, 2017. Consequent upon, the Central Government made certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 vide the Finance (No. 2) Act, 2024 which has been published in the Official Gazette on 16th August, 2024 after the assent of Hon'ble President of India.

In order to bring uniformity in the provisions of the Central Goods and Services Tax, 2017 and the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, it had been decided to make relevant amendments in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 in the light of aforesaid Finance (No. 2) Act, 2024. Therefore, the Governor of Rajasthan promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 on 10th December, 2024. It, inter alia, provides for the following, namely:-

- (i) not to levy tax under GST on un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption.
- (ii) insert a new section 11Ato empower the Government to regularise non-levy or short levy of state tax where it is satisfied that such non-levy or short levy was a result of general practice.
- (iii) amend sub-section (3) of section 13 to specify the time of supply of services in cases where the invoice is required to be issued by the recipient of services in reverse charge supplies.

- (iv) insert a new sub-section (5) in section 16 to carve out an exception to the existing sub-section (4) and to provide that in respect of an invoice or debit note for the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.
- (v) insert a new sub-section (6) in section 16 so as to allow the availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note in a return filed for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, filed within thirty days of the date of order of revocation of cancellation of registration, subject to the condition that the time-limit for availment of credit in respect of the said invoice or debit note should not have already expired under sub-section (4) of the said section on the date of order of cancellation of registration.
- (vi) amend sub-section (5) of section 17, so as to restrict the non availability of input tax credit in respect of tax paid under section 74 of the said Act only for demands upto Financial Year 2023-24.
- (vii) make consequential amendment in section 21, so as to incorporate a reference to the proposed new section 74A.
- (viii) insert a new proviso in sub-section (2) of section 30, so as to empower the State Government to prescribe conditions and restrictions for revocation of cancellation of registration by rules.
- (ix) amend clause (f) of sub-section (3) of section 31, so as to empower the State Government to prescribe the time period for issuance of invoice by the recipient in case of reverse charge mechanism supplies by rules. Further, it also proposes to insert an Explanation in sub-section (3) of the said section so as to specify that a supplier registered solely for the purposes of tax deduction at

- source under section 51 of the said Act shall not be considered as a registered person for the purpose of clause (f) of sub-section (3) of section 31 of the said Act.
- (x) make consequential amendment in sub-section (6) of section 35, so as to incorporate a reference to the proposed new section 74A.
- (xi) substitute sub-section (3) of section 39, so as to mandate the electronic furnishing of return for each month by the registered person required to deduct tax at source, irrespective of whether any deduction has been made in the said month or not.
- (xii) make consequential amendments in sub-section (8) of section 49, sub-section (1) of section 50 and sub-section (7) of section 51 so as to incorporate a reference to the proposed new section 74A.
- (xiii) insert a new sub-section (15) in section 54, so as to omit the second proviso to sub-section (3) and to provide that no refund of unutilised input tax credit or of integrated tax shall be allowed in cases of zero rated supply of goods where such goods are subjected to export duty.
- (xiv) make consequential amendments in sub-section (3) of section 61, sub-section (1) of section 62, section 63, sub-section (2) of section 64, sub-section (7) of section 65 and sub-section (6) of section 66, so as to incorporate a reference to the proposed new section 74A
- (xv) insert a new sub-section (1A) in section 70, so as to enable an authorised representative to appear on behalf of the summoned person before the proper officer in compliance of summons issued by the said officer.
- (xvi) insert a new sub-section (12) in section 73 and a new sub-section (12) in section 74,so as to restrict the applicability of the said sections for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24.

- (xvii) insert a new section 74A, so as to provide for determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards. Moreover, it also provides for the same limitation period for issuing demand notices and orders in respect of demands from the Financial Year 2024-25 onwards, irrespective of whether the charges of fraud, wilful-misstatement, or suppression of facts are invoked or not, while keeping a higher penalty, for cases involving fraud, wilful misstatement, or suppression of facts.
- (xviii) insert a new sub-section (2A) in section 75, so as to provide for re-determination of penalty demanded in a notice invoking penal provisions under clause (ii) of sub-section (5) of the proposed section 74A of the said Act to re-determine the penalty as per clause (i) of the sub- section (5) of the said section, in cases where the charges of fraud, wilful-misstatement, or suppression of facts are not established. It also seeks to make consequential amendments in section 75 of the said Act, so as to incorporate a reference to the proposed section 74A or the relevant sub-sections thereof.
- (xix) make consequential amendments in sub-section (1) of section 104, so as to incorporate a reference to subsections (2) and (7) of the proposed new section 74A.
- (xx) amend sub-section (6) of section 107, so as to reduce the maximum amount of pre-deposit for filing appeal before the Appellate Authority from rupees twenty-five crores to rupees twenty crores in state tax. It also proposes to make consequential amendments in subsection (11) of the said section to incorporate a reference to the proposed new section 74A.
- (xxi) amend section 109, so as to empower the Appellate Tribunal to examine the matters or adjudicate the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section.

- (xxii) amend sub-sections (1) and (3) of section 112, so as to empower the Government to notify the date for filing appeal before the Appellate Tribunal and provide a revised time limit for filing appeals or application before the Appellate Tribunal. Further, it seeks to amend sub-section (8) of the said section to reduce the maximum amount of pre-deposit for filing appeals before the Appellate Tribunal from the existing twenty percent to ten percent of the tax in dispute and also reduce the maximum amount payable as pre-deposit from rupees fifty crores to rupees twenty crores in state tax.
- (xxiii) amend sub-section (1B) of section 122, so as to restrict the applicability of the said sub-section to electronic commerce operators, who are required to collect tax at source under section 52 of the said Act.
- (xxiv) make consequential amendments in section 127, so as to incorporate a reference to the proposed new section 74A.
- (xxv) insert a new section 128A, so as to provide for conditional waiver of interest and penalty in respect of demand notices issued under section 73 of the said Act for the Financial Years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, except the demand notices in respect of erroneous refund. Further, it is proposed that in cases where interest and penalty have already been paid in respect of any demand for the said financial years, no refund shall be admissible for the same.
- (xxvi) amend sub-section (2) of section 171, so as to empower the Government to notify the date from which the Authority under the said section shall not accept any application for anti-profiteering cases. Additionally, an Explanation is also proposed to be inserted so as to include the reference of "Appellate Tribunal" in the expression "Authority" under the said section to enable the Government to notify the Appellate Tribunal to act as an Authority to handle anti- profiteering cases.

(xxvii) amend Schedule III, so as to provide that the activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in coinsurance agreements shall be treated as neither supply of goods nor supply of services, provided that the lead insurer pays the tax liability on the entire amount of premium paid by the insured. Further, it also proposes to provide that the services by the insurer to the re-insurer, for which the ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, shall be treated as neither supply of goods nor supply of services, provided that tax liability on the gross reinsurance premium inclusive of reinsurance commission or the ceding commission is paid by the reinsurer.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in Session and the circumstances existed, which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (Ordinance No. 1 of 2024) on 10th December, 2024, which was published in Rajasthan Gazette extraordinary, dated 11th December, 2024.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance. Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(8) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 10 फरवरी, 2025 प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 9 of the Bill seeks to insert a new proviso in subsection (2) of section 30 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the State Government to make rules prescribing conditions for revocation of cancellation of registration of a taxpayer.

Clause 10 of the Bill seeks to amend clause (f) of subsection (3) of section 31 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the State Government to make rules prescribing the time period for issuance of invoice by the recipient in case of reverse charge mechanism supplies.

Clause 12 of the Bill seeks to substitute sub-section (3) of section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the State Government to prescribe the form, manner and the time within which return is to be filed by registered person required to deduct tax at source under section 51 of the said Act.

Clause 34 of the Bill seeks to insert a new section 128A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Sub-section (1) of the said section empowers the State Government to make rules for prescribing the conditions subject to which the proceedings with regard to demand notices issued under section 73 of the said Act shall be deemed to be concluded as per provisions of subsection (1) of the proposed section 128A of the said Act.

The matters in respect of which the rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

भजन लाल शर्मा, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(Act No. 9 of 2017)

XX XX XX XX XX XX

9. Levy and collection.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Rajasthan goods and services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.

(5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be, despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax and penalty.

Explanation 1.— For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.— For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:—

- (i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

XX XX XX XX XX XX

13. Time of supply of services.- (1) to (2) xx xx

- (3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:-
 - (a) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or
 - (b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

Provided further that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

17. Apportionment of credit and blocked credits (1) to								
(4)		XX	XX	XX	XX	x xx		
(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-								
	(a) to	(h)	XX	XX	XX	X XX		
section	(i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.							
	(6)	XX	XX	XX	XX	XX		
XX	X	X	XX	XX	X	XX XX		
21. Manner of recovery of credit distributed in excess. Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply for determination of amount to be recovered.								
XX	2	XX	XX	XX		XX XX		
(1)	xx (2) Th		fficer m	nay, in sucl	xx n manner a	registration xx xx nd within such cancellation of		
period as may be prescribed, by order, either revoke cancellation of the registration or reject the application:								
Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.								

XX XX

XX

XX

XX

(3)

CHAPTER - VII

TAX INVOICE CREDIT AND DEBIT NOTES

	31. Tax invo	ice (1) to (2)) xx	XX	xx xx			
(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2),-								
	(a) to(e) xx xx xx xx xx							
(f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;								
	(g)	XX	XX	XX	XX			
	(4) to (7)	XX	XX	XX	xx			
XX	XX	XX	XX	XX	XX			
35. Accounts and other records (1) to (5) xx xx xx								
(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of such tax.								
XX	XX	XX	XX	XX	XX			
39. Furnishing of returns (1) to (2) $xx x xx xx$								
(3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the								

month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.

- **49.** Payment of tax, interest, penalty and other amounts.- (1) to (7) xx xx xx xx xx xx
- (8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made thereunder in the following order, namely:-
 - (a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;
 - (b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;
 - (c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under section 73 or section 74.
 - (9) to (12) xx xx xx xx xx

50. Interest on delayed payment of tax.- (1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.

(2) to (3)	XX	XX	XX	XX
--------------	----	----	----	----

51. Tax deduction at source.- (1) to (6) xx xx xx

(7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.

(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than-

- (i) zero-rated supplies made without payment of tax;
- (ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

61. Scrutiny of returns.- (1) to (2) xx xx

- (3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.
- 62. Assessment of non-filers of returns.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.
 - (2) xx xx xx xx xx
- 63. Assessment of unregistered persons. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard.

64. Summary assessment in certain special cases.(1) xx xx xx xx xx xx xx xx

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under subsection (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.

CHAPTER XIII

AUDIT

65. Audit by tax authorities.- (1) to (6) xx xx xx (7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

66. Special audit.- (1) to (5) xx xx xx

(6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

XX XX XX XX XX XX

73. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.-

(1) to (11) xx xx xx xx

74.Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.- (1) to (11) xx xx xx

Explanation 2.- For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

75. General provisions relating to determination of tax.(1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case may be.

(2) to (9) xx xx xx xx xx xx

- (10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.
- (11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of section 73 or sub-section (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.
- (12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either

wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.

(13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

XX XX XX XX XX XX

be 104. Advance ruling void in to certain **circumstances.-** (1) Where the Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority finds that advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of section 98 or under sub-section (1) of section 101 or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void ab-initio and thereupon all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made:

Provided that no order shall be passed under this subsection unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

Explanation.- The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this subsection shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

107. Appeals to Appellate Authority.- (1) to (5) xx xx

- (6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
 - (b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed:

Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.

- (7) to (10) xx xx xx xx
- (11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penalty or fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74.

	(12) to (16)	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX

109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.- Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

XX XX XX XX XX XX

112. Appeals to Appellate Tribunal.- (1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.

(2) xx xx xx xx

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

(4) to (5) xx xx xx xx

(6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in subsection (1), or permit the filing of a memorandum of crossobjections within forty five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.

- (7) xx xx xx xx xx
- (8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
 - (b) a sum equal to twenty per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order, subject to a maximum of fifty crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.
- - (1B) Any electronic commerce operator who-
 - (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
 - (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
 - (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under subsection (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.

(2) to (3) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

127. Power to impose penalty in certain cases.- Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

XX XX XX XX XX XX XX XX XX 171. Anti-profiteering measure.- (1) xx xx xx

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Bill No.4 of 2025

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

 $(To\ be\ introduced\ in\ the\ Rajasthan\ Legislative\ Assembly)$

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A	
Bill	
further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 20)17.
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly	·)
(10 be introduced in the Rajastian Degislative rissembly	,
	
BHARAT BHUSHAN SHARI	
Principal Secretar	.

 $(Bhajan\ Lal\ Sharma,\ \textbf{Minister-Incharge})$

2025 का विधेयक सं.4

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा, प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री)